Rule 377. Shri Harish Rawat- he is absent. Now Mr. Amarsinh Rathawa.

12,16 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to implement new programmes for afforestation in Chhota Udaipur and other parts of India.

श्री प्रमर सिंह राठवा (छोटा उदयपुर): अध्यक्ष जी, छोटा उदयपुर इलाके में आदिवासी व पछात वर्ग की जाति अपनी संस्कृति के मुताबिक रहती है। वे आदिवासी जातियां जंगल की जमीन पर खेती करती हैं। अतः जंगल के कर्मचारी उनसे गैर कानूनी जमीन में महसूल लेते हैं और वे आदिवासियों को जंगल की जमीन जातने का दण्ड और वसूली दोनों आदिवासियों से लेते हैं। अतः यह जंगल की जमीन जो आदिवासी जोतते हैं, उनकी 12.17. .brs

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

जमीन उन्हीं आदिवासियों को प्लांटेशन के लिए दी जाए और उसी प्लांटेशन करने की मजदूरी और जब तक पेड़ बड़ा न हो जाए तब तक उसी आदिवासी को हर रोज मजदूरी कुटुम्ब के हिसाब से दी जाए। इससे आदिवासियों को रोजी-रोटी भी मिलेगी और जंगल में पेड़ भी किर से जंगल के रूप में सरकार को मिल जायेंगे।

मेरे विस्तार में आया नमंदा हैम में जो जो जमीन किसान की मिलती है उसे भी प्लाटेशन के लिए जंगल की बिना पेड़ की जमीन दी जाए और ग्राम पंचायत परिषद को भी इसी तरह प्लाटेशन के लिए जमीन दी जाए। इस श्रीग्राम से मेरे विस्तार में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में फिर से जंगल बन जाएगा और वजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। इससे वर्षा ऋतु भी

नियमित आएगी और खेत की पैदाइश बढ़ेगी। इस प्रोग्राम के लिए जो जमीन दी जाए उसपर जो पेड़ बड़े होंगे उस पेड़ पर पूरा अधिकार उसी किसान का होना चाहिए जिसने अपने बंजर या जंगल की जमीन पर खुद मेहना करके पेड़ बड़े किए हैं। इस प्रोग्राम के लिए दिश्व बैंक की सहायता ली जानी नाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैंदपुर):
उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अब तक तीस प्रस्ताव
नियम 377 के अधीन इस हाउस में दिए हैं,
लेकिन किसी पर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं
होती है। क्या नियम 377 सिर्फ पढ़ देना ही
काफी होता है। मैं आपसे निवेदन करू गा कि
यह बहुत ही गम्भीर मसला है, जिसको मैं नियम
377 के अधीन उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि
माननीय मंत्री जी आदेश दें और तत्काल जवाब दें
और इसकी छानबीन करें। यह बहुत बड़ा
भ्रष्टाचार का मामला है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This should be noted by the Government. You had read 30 such statements under Rule 377 and you have not got any reply for all the 30 statements.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI: Only 4 or 5 replies I have received.

MR. DEPUTY-SPEAKER: For others do you want replies?

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI: I want immediate replies.

MR. DEPUTY SPEAKER: You may wait. Replies will be sent. The rules must permit for an immediate reply.

(ii) Inquiry into the Working of Diesel Engine Factory at Varanasi.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैंदपुर): माननीय उपाडियक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वाराणसी में गत 30 वर्षों से कार्यरत डीजल 319

APRIL 5, 1984

रेल इंजन कारखानें के कार्य कलापों की ओर रैल मंत्री का घ्यान ले जाना चाहता हं। यह कारखाना देश में डीजल रेल इंजनों के निर्माण का एक मात्र कारखाना है। कारखाना निर्माण के समय तत्कालीन रेल मंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि इस कारखाने में एक इंजन प्रतिदिन बनेगा और यह सारी दुनिया को इंजन सप्लाई करेगा किन्तु कुछ वर्ष पहले निर्णय लिया गया कि एक वर्ष में 200 इंजन बनेगा। इस वर्ष यहां का लक्ष्य घटा कर 125 कर दिया गया है।

अभी कुछ दिन पहले इस कारखाने में कलकत्ता से तांबे और पीतल के कुछ पूर्जे लगभग 15 लाख रु० के मंगाए थे। पार्सल जब खोलागया तो उसमें बालु और पत्थर मिला। इसके बावजद भी इसका पूरा मुगतान फर्म को कर दिया गया। जब हल्ला मचा तो एक हरिजन अत्यन्त नीचे के कर्मचारी को जबर्दस्ती मुक्तल कर मामला रफा-दफा कर दिया गया है। स्पोरं कोटे की नियुक्ति में भी धांधली बरती जाती है। स्थानीय किसानों, गरीबों और बास्त-विक कामगारों एवं जिनकी जमीनें ली गई हैं उनको नौकरी । नहीं मिलती है । और न वास्त-विक खिलाडियों की ही निय्कित की जाती है। साथ ही अनुस्चित जातियों एवं जनजातियों की पदोन्नति नहीं की जाती है। अस्पताल में छोटे कर्मचारियों को दवा भी नहीं मिलती है।

अतः मैं चाहुंगा कि तुरन्त इन सारे मामलों की एक संसदीय समिति से आंच की जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Jayanti Patnaik - not present; Shri Bheekhabhai-not present.

(Interruptions)

AMAR ROYPRADHAN (Cooch Behar): I am on a point of order. In place of those Members who gave notice under Rule 377 and are not present, some other members should be called. Otherwise, some more quota should be fixed under Rule 377.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They will be called at 2 P.M., because they never expected that the calling attention would be postponed. All those members who are not present in the House just now will be called after 2 P.M. Shrimati Mukherjee. Now I will call only those who are present. The others will be called after 2 P.M.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Yesterday, I gave a notice. I do not know whether it has been admitted or rejected.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are raising a new point. You give notice; you write to the Speaker. You should not raise all these points here because you cannot expect a reply. If it does not come, you please meet the Speaker in his Chamber and discuss with him.

Shrimati Geeta Mukherjee.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You read. Only your statement goes on record.

(iii) Acute water scarcity in Midnapur.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Acute scarcity of water is being felt in large areas of Midnapur district including the areas falling in my constituency such as, Debra, Pingla, Sabang, Keshpur, Panskura, Daspur, Kharagpur rural police station areas, as there was no rain for the last few months.

Water level of the shallow tube-wells has fallen far below. Kangsabati reservoir is alsa reaching near exhaustion level. Standing crop of boro paddy is getting dried up and what is even more dangerous is that acute drinking water shortage has also developed. Actually, severe drought conditions have already arisen and if it does not rain in a few days, the situation will be devastating.